

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

देशराज

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अन्तर्. धारा 128) मु0नं0 532अन 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1029

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27-08-2025	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री मधुसुदन अग्रवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। P.O साहब सीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/25 को पेश हो।</p> <p>07/10/2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 20.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 20.06.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त सीमाज्ञान में प्रार्थी</p>	



की वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होना बताया है। अतः प्रार्थी को दीगर व्यक्ति से कब्जेशुदा भूमि को मुक्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में बेदखली का वादपत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

राजवीर सिंह यादव

उपजीमकाथिनीगारी

मीरक़ाथाना (सीकर)